

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- नसीराबाद

अजमर बनाम राधिका

किस्म मुकदमा :- 88,189,92 राजो कास्टो अफिओ 1955 प्रकरण संख्या 14 सन -2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.1.24	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 3.2.24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p> <p>9/2/24</p> <p>गठारसिन अधिकारों के आज मुख्यालय में बाहर धीरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पत्र आदेश को पालना में दिनांक 12/4/24 को पेश हो।</p> <p>आदेशानुसार 2 सि.टी.</p> <p>10/2/24</p>	<p>459-64 16/1/24</p>
12.4.24	<p>अधिवक्ता वकील श्री पद्मेश्वर रावत ने अदालत में पत्रावली तलब करके व ज.पत्र विद्वा. करके वादपत्र पेश किया। पत्रावली तलब की शर्तों, कर्षी अधिवक्ता के निर्देश पर का. 11-9 अ. 24 के तहत अदालत में पत्रावली तलब की शर्तों को सम्मान देकर ही न कोषिल दखल है।</p>	<p>Sir Note present</p> <p>Sir पत्रावली तलब</p>

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमर)